

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2017—भाद्र 24, शक 1939

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. 307.— मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 "क" के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन नगर परिषद मुंगावली जिला अशोकनगर के सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची-1 में दर्शाये स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है।

अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों को अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला अशोकनगर को प्रस्तावित कर सकता है जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

अनुसूची- 1

क्र.	शामिल की जाने वाली ग्राम पंचायत	शामिल किये जाने वाले ग्राम (सम्पूर्ण राजस्व ग्राम)	तहसील	शामिल किये जाने वाला ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	कस्वारेंज ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र	कस्वारेंज मुंगावली	मुंगावली	433.797 हे.
2	महुआखाड़ी ग्राम का क्षेत्र	महुआखाड़ी ग्राम का क्षेत्र	मुंगावली	30.06 हे.
3	कस्बाकाछी ग्राम का क्षेत्र	कस्बाकाछी ग्राम	मुंगावली	84.428 हे.

अनुसूची- 2

अनुसूची - 1 में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगर परिषद मुंगावली की पुनरिक्षित सीमा निम्न प्रकार है।

- उत्तर में** - चन्देरी रोड़ भारतपुरा रेल्वे फाटक से प्रारम्भ होकर रेल्वे लाईन के दक्षिणी भाग की सीमा कस्वारेन्ज के सर्वे नम्बरों को शामिल करते हुए रेल्वे लाईन के दक्षिणीभाग के साथ साथ मीरकाबाद रेल्वे फाटक महुआ खाड़ी रेल्वे फाटक रेल्वे लाईन के दक्षिणीभाग महुआ खाड़ी के सर्वे नम्बरों को शामिल करते हुए रेल्वे के माल गोदाम तक।
- दक्षिण में** - कस्वा काछी के सर्वे नम्बरों को शामिल करते हुए उत्तरी भाग के क्षेत्र कस्वा रेन्ज के सर्वे नम्बर गोरानाले की सीमा के उत्तरी भाग के क्षेत्र को शामिल करते हुए माल गोदाम व गोरानाले की पुलिया केन्द्रीय विद्यालय तक।
- पूर्व में** - रेल्वे की माल गोदाम से प्रारम्भ होकर पश्चिमी भाग के कस्वा रेन्ज सर्वे नम्बरों को शामिल करते हुए कस्वा काछी गौशाला एवं सम्पूर्ण क्षेत्र कस्वा काछी सर्वे नम्बरों तक को शामिल करते हुए।
- पश्चिम में** - केन्द्रीय विद्यालय की पुलिया से प्रारम्भ होकर कस्वा रेन्ज के सम्पूर्ण सर्वे नम्बरों को शामिल करते हुए चन्देरी रोड़ भातपुरा रेल्वे फाटक तक।

Notification No. 307.— In exercise of the power conferred by clouse 5 of sub section 2 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government are pleased to include the area as described in the schedule below within the limits of Nagar Parishad Mungaoli in the Ashoknagar District from the date of publication of the notification in the "Gazette".

Whereas, the draft notification, published by the state government and inviting objections or suggestions from public within 30 days from the date of publication of notification and whereas the objections or suggestions received with in the stipulated period were dully considered by the state government.

Schedule - 1

S.No.	Included GramPanchayat	Villages to Include	Tehsil	Area in Hactares
1	Complete Area of Kasbarane Gram panchayat	Kasbarange Mungaoli	Mungaoli	433-797
2	Area of MahuaKhedi	Mahuakhadi Gram	Mungaoli	30-06
3	Area of Kasbakachi	Kasbakachi Gram	Mungaoli	84-428

Schedule - 2

After including the New Proposed Area the New Boundaries Details of Nagar Parishad Mungaoli

1. In North Directon	Starting from the Chanderi Road Bhatpura Railway Gate , South Boundary of Railway Line of Kasba range with Survey no of Meerkabad Railway Gate ,Mahuakhedi Railway Gate up to the Railway mall Godam.
2. In East Direction	Starting from the Railway Mall godam including the west side survey number of kasba range, KasbaKachi Goushala and Compleat Area of KasbaKachi survey numbers.
3. In South Direction	Including the Survey no of Kasbakachi ,Area of north side of Goranala , mall gaodam and up to the Kendariyavidhyalay.
4. In West Direction	Starting from the KendariyaVidhyalay'spuliya including the survey numbers of Canderi Road Bhatpura Railway Phatak .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. जामोद, कलेक्टर.